

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- अपर परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 18 फरवरी, 2019

विषय: हिंडन नदी के पुनरुद्धार हेतु हिण्डन नदी बेसिन तथा गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों में सामूहिक कार्य-योजना को सुगमता प्रदान करने के लिये मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफार्म (एम.एस.पी.) के गठन के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि गंगा नदी देश की सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी नदी है, जिसका Catchment Area लगभग 8.0 लाख वर्ग किमी० है। इसके किनारे एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली लगभग 50 करोड़ की आबादी आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा नदी को अविरल एवं निर्मल बनाये जाने का कोई भी प्रयास तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता, जब तक कि उसमें मिलने वाली सहायक नदियों को स्वच्छ/निर्मल नहीं बनाया जाता।

2- गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों में हिण्डन एक प्रमुख नदी है। हिण्डन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और इस प्रकार यह गंगा नदी बेसिन का एक भाग है। इस नदी का उद्गम सहारनपुर जनपद के शिवालिक पहाड़ियों से है। यह गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थिति विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से गुजरती है। इसके उप बेसिन में लगभग डेढ़ करोड़ लोग निवास करते हैं। इस नदी के 350 किमी० के प्रवाह में 20 से अधिक नालों के माध्यम से घरेलू सीवर और औद्योगिक उत्प्रवाह मिलता है। इस प्रकार नगरीय, कृषि तथा औद्योगिक टोस एवं तरल अपशिष्ट के कारण गंगा बेसिन में हिण्डन नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। हिण्डन क्षेत्र की गिरती हुई पर्यावरणीय दशा के कारण जैव विविधता, पानी एवं भोज्य श्रृंखला के प्रभावित होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में हिण्डन एवं उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को प्रभावी तरीके से रोकना तथा हिण्डन नदी में पारिस्थितिकी प्रवाह बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एन०जी०ओ० के सक्रिय सहयोग से जागरूकता अभियान, तालाबों का पुनरुद्धार, प्रदूषण रोकने, वनीकरण तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये नियम एवं नीति के अंतर्गत जैसे वेस्ट टू वेल्थ परियोजनाएं, लघु स्तरीय अभिनव प्रयोग के द्वारा वृहद स्तर पर संभाव्य व्यवसायिक माडल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफार्म (एम.एस.पी.) के गठन से लोगों के सामूहिक प्रयास से क्षमता संवर्द्धन में सुधार तथा परिणामों में शीघ्रता आ सकती है।

'2030 वॉटर रिसोर्स ग्रुप' जो कि एक सार्वजनिक निजी नागरिक संगठन है, वह जल संसाधन प्रबंधन में दीर्घ कालिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि के सुधार में तीव्रता लाने के लिए सरकार को सहयोग देना चाहता है। भारत सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर '2030 वॉटर रिसोर्स ग्रुप' गंगा सहायक प्रबंधन प्रयास को सहयोग प्रदान कर रहा है।

हिंडन उप बेसिन में चल रहे प्रयासों का संज्ञान लेते हुए और गंगा बेसिन की अन्य सहायक नदियों में एम.एस.पी. के प्रयास की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान की सहभागिता प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाये।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिंडन उप बेसिन की सहायक नदियों में मजबूत एवं संतुलित समन्वय प्रक्रिया के माध्यम से प्रदूषण की रोकथाम तथा पारिस्थितिकी प्रवाह को बनाये रखने के उद्देश्य से गंगा सहायक प्रबंधन हेतु बहुहितधारकों को एक प्लेटफार्म प्रदान करने हेतु 'संचालन परिषद्' (स्टीयरिंग बोर्ड) का गठन किया जाए। 'संचालन परिषद्' (स्टीयरिंग बोर्ड) की भूमिका एवं दायित्व, इसकी सदस्यता, कोर विशेषज्ञों का समूह, कार्यदल का समूह, सचिवालय एवं उसकी बैठकों की आवृत्ति के संबंध में निम्नवत् प्राविधान किया जाता है:-

(1) संचालन परिषद् (Steering Board)-

गंगा बेसिन में प्रदूषण की रोकथाम एवं कभी तथा परिस्थितिकी प्रवाह बनाये रखने के लिये गंगा नदी के सुदृढीकरण एवं पूरक (पुनरुद्धार, सुरक्षा तथा प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 के क्रम में पाथलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य स्तर पर मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफार्म (एम.एस.पी.) के प्रोत्साहन हेतु एक उच्चस्तरीय संचालन परिषद् गठित की जायेगी।

(2) संचालन परिषद् की भूमिका एवं उत्तरदायित्व-

- (क) हिंडन उप बेसिन में सहायक नदी स्तर पर मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफार्म (एम.एस.पी.) के माध्यम से सरकार, नागरिक संगठन, उद्योग एवं शोधकर्ताओं के बीच सामूहिक प्रयास हेतु एक मजबूत शासनतन्त्र का गठन एवं इसके संचालन का मार्गदर्शन करना।
- (ब) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक समेकित दृष्टिकोण तैयार करना तथा निवेश की प्राथमिकताओं की रणनीति तैयार करना।
- (ग) वर्तमान में शासकीय कार्यक्रमों को लागू करना तथा निजी एवं अन्य स्रोतों से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु उत्प्रेरक का कार्य करना।
- (घ) कार्यकारी दलों के माध्यम से हिंडन नदी के बेसिन में चल रही सहभागिता प्रक्रिया को सहयोग प्रदान करना जिससे कि प्रदूषण पर प्रभावी रोक लग सके और पानी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।
- (ङ) सामूहिक प्रक्रिया से निर्मित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तन्त्र के माध्यम से किये जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करना, जिससे एक स्वस्थ हिंडन बेसिन बनाया जा सके।
- (च) हिंडन उप-बेसिन में एम.एस.पी. के आधार पर परिणामों का मूल्यांकन करते हुए उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन की अन्य सहायक नदियों में इसे दोहराना एवं उन्नयन करना।

(3) संचालन परिषद् की सदस्यता-

- (क) 'संचालन परिषद्' में सरकार, उद्योग तथा नागरिक समितियों/शोधकर्ताओं का बराबर का प्रतिनिधित्व होगा।
- (ब) 'संचालन परिषद्' की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन तथा परियोजना निदेशक, क्लीन गंगा मिशन, उ०प्र० शासन होंगे।
- (ग) सह-अध्यक्ष का चयन उद्योग संगठन/नागरिक संगठन के प्रतिनिधियों में से होगा तथा उसका अनुमोदन मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा दिया जाएगा।
- (घ) 'संचालन परिषद्' के सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष द्वारा तथा नियुक्ति मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष द्वारा हिंडन/गंगा नदी सहायक कार्यक्रम के विस्तार पर अतिरिक्त एवं आमंत्रित सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- (ङ) सदस्यता प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(4) कोर विशेषज्ञों का समूह-

- (क) 'संचालन परिषद्' के सहायतार्थ वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषज्ञ रखे जायेंगे, जिन्हें विशेषज्ञ कोर ग्रुप (Core Group of Expert) कहा जाएगा। इस समूह का दायित्व हिंडन उप बेसिन तथा अन्य गंगा सहायक नदियों में प्रभावी रूप से कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के विकास, निवेश से संबंधित प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु नीति सुझाने, वैज्ञानिक तरीके से जमीनी हल तैयार करने तथा जानकारी विकसित करने का होगा। 'विशेषज्ञ कोर ग्रुप' में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विशेषज्ञ भी बढ़ाये जा सकते हैं।

(ख) विशेषज्ञ कोर ग्रुप के कार्य एवं दायित्व 'संचालन परिषद' द्वारा निर्धारित किये जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तित किये जा सकेंगे। सचिवालय द्वारा सदस्यों की पहचान की जाएगी तथा अध्यक्ष द्वारा विशेष टास्क के निष्पादन हेतु निर्धारित समयावधि के लिए नियुक्त की जाएगी।

(5) कार्य दल समूह (Working Group)–

(क) 'संचालन परिषद' कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन के निर्देशन हेतु विषय गत कार्य दल समूह का गठन करेगा तथा यह कार्यदल समूह 'संचालन परिषद' को सहायक नदी शासन तन्त्र पर वित्त पोषण, क्षमता संवर्धन हेतु सलाह देगा और हिंडन उप-बेसिन तथा अन्य गंगा सहायक नदियों में सहायक नदी स्तर के मजबूत समन्वय की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के पश्चात् उसको दोहराने पर सलाह देगा।

(6) सचिवालय –

(क) '2030 डब्ल्यूआरजी' हिंडन गंगा सहायक नदी एम.एस.पी. प्रबंधन के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(ख) सचिवालय के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नवत् होंगे:–

(1) 'संचालन परिषद', 'विशेषज्ञ कोर समूह' एवं 'कार्यदल समूह' की बैठकों का समन्वय, तैयारी एवं आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना

(2) 'संचालन परिषद' की पुष्टि व अनुमोदन हेतु कन्सेप्ट नोट, विजन डोक्यूमेंट, प्रोजेक्ट का प्रस्तुतीकरण तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का प्रारूप विकसित करना तथा मूल्यांकन की समुचित व्यवस्था करना।

(3) विशेषज्ञों को अनुबन्ध पर रखने के लिए आवश्यकतानुसार शर्तों का निर्धारण करना।

(7) बैठकों की आवृत्ति:–

(क) 'संचालन परिषद' वर्ष में दो बार बैठक आयोजित करेगी।

(ख) 'कार्यदल समूह' आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित करेगे।

5- उपरोक्त संचालन परिषद में सम्मिलित होने वाले सदस्यों का विवरण संलग्नक-1 पर है।

भवदीय,
Manoj 18.2.19
(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4912(1)/नौ-5-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

- 1- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- मण्डलायुक्त, मेरठ एवं सहारनपुर।
- 8- गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
राधे कृष्ण 18/2/19
(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-4912/नौ-5-18-474सा/18, दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक

संचालन परिषद् में सम्मिलित होने वाले सदस्यों का विवरण


Government		
	Position/Organistaion	Type
1	Principial Secretary, Urban Development & Project, Director, Ganga Rejuvenation	UP Government
2	Principial Secretary, Irrigation & Water resources Department	UP Government
3	Principial Secretary, Minor Irrigation & Groundwater Department	UP Government
4	Principial Secretary, Infrastructure & Industry Department	UP Government
5	Principial Secretary, Environment & Forest Department	UP Government
6	Principial Secretary, Agriculture Department	UP Government
7	Principial Secretary, Science Technology	UP Government
8	Water Management and Regulatory Commission	UP Government
9	Divisonal Commissioners Meerut and saharanpur	UP Government

INDUSTRY		
	Position/Organistaion	
1	Chairman, The indian Sugar Mills Association	Industry Association
2	Chairman, Paper Mills Association Muzaffarnagar	Industry Association
3	Industry representative of FICCI	Industry Association
4	Industry representative of CII	Industry Association
5	Industry representative of WBCSD	Industry Association
6	CGM, NABARD Uttar Pradesh	Industry Association
7	CREDAI	Industry Association
8	MSME Foundation	Industry Association

CIVIL SOCIETY & RESEARCH		
	Position/Organistaion	Type
1	IIT Roorkee//Kanpur	Research
2	TERI University-Water Science and Governance	Research
3	INRACH, Natural Heritage Division	Research/CSO
4	India Water Partnership (IWP)	CSO
5	HIFEED/Natural Heritage Research & Conservation Centre (Shamli)	Research/CSO
6	WWF	CSO
7	Woman/micro-finance/SHG Institution	CSO
8	Centre for Science & Environment (CSE)	CSO

INDICATIVE LIST OF INVITEES		
	Position/Organistaion	Type
1	-Dutch Ambassador to india -Head Economics Affairs, The Netheriands Embassy -Program manager, NL International Works	Bi-lateral
2	National Institute of Hydrology (NIH)	Research
3	NEERI	Research
4	Atal Incubation Centre BIMTECH, Birla Institute of Technology (BITS)	Research
5	India Institute for Sugar Cane Research	Research
6	Central Paper & Pulp Research Institute	Research
7	UNIDO	Multi-lateral
8	World Bank	Multi-lateral

9	EIWP	Multi-lateral
10	IOCL, BPCL, HPCL	Semi-govt/PSU
11	WAPCOS	Semi-govt/PSU
12	CGI	Private sector
13	IFFCO	Private sector
14	CSE	CSO
15	Solidaridad	CSO
16	NEER Foundation	CSO
17	GVPS	CSO
18	WOTR	CSO
19	Muskan Jyoti Samithi	CSO
20	Janhit Foundation	CSO


 (राधे कृष्ण)
 संयुक्त सचिव।